



2026:AHC: 175850

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5107 वर्ष 2026

फैसल

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता

: अनीस बेग

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 86

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनीस बेग और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना गया।
2. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता का अभिवेदन है कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण उस अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसका उल्लेख प्रार्थना खंड में किया गया है। पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में उल्लिखित अनुतोष नीचे वर्णित है:-

"इसलिए, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक पुनरीक्षण को स्वीकार करे और अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय संख्या 2, फिरोजाबाद द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 107 वर्ष 2020 (श्रीमती मेहताब बानो और एक अन्य बनाम फैसल) में द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 16.05.2026, जिला फिरोजाबाद को रद्द करे।

और/या ऐसा अन्य और आगे का अनुतोष प्रदान करे जो यह माननीय न्यायालय वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।"

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 16.05.2026 के माध्यम से, पुनरीक्षणवादी को आवेदन की तिथि अर्थात् 29.01.2020 से भरण-पोषण राशि के रूप में पत्नी/विपक्षी संख्या 2 को 2000/- रुपये प्रति माह और नाबालिग पुत्री/विपक्षी संख्या 3 को 1000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षणवादी एक गरीब व्यक्ति है और विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए भरण-पोषण की मात्रा अत्यधिक है और पुनरीक्षणवादी की वित्तीय क्षमता से परे है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 2 ने अपनी मर्जी से अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया है और वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति पुनरीक्षणवादी से अलग रह रही है, इसलिए, वह द.प्र.सं. की धारा 125(4)/बीएनएसएस की धारा 144(4) के प्रावधानों के अनुसार कोई भरण-पोषण राशि प्राप्त करने की हकदार नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि संबंधित परिवार न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 16.05.2026 के माध्यम से आवेदन की तिथि से विपक्षी संख्या 2 और 3 अर्थात् पत्नी और नाबालिग पुत्री को भरण-पोषण प्रदान करते समय मामले के पूर्वोक्त पहलू पर विचार नहीं किया है, इसलिए, आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने पुनरीक्षण का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि संबंधित परिवार न्यायालय ने उनके जीवन निर्वाह के लिए भरण-पोषण राशि के रूप में पत्नी/विपक्षी संख्या 2 और नाबालिग पुत्री/विपक्षी संख्या 3 को केवल 3000/- रुपये की अल्प राशि प्रदान किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि द.प्र.सं. की धारा 125/बीएनएसएस की धारा 144 की कल्पना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि एक महिला, जिसने वैवाहिक घर छोड़ दिया है या जिसे वैवाहिक घर से निकाल दिया गया है, वह अपना और अपने बच्चों का भरण-पोषण कर सके। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की श्रृंखला के माध्यम से, बार-बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जीवन निर्वाह की अवधारणा का अर्थ आवश्यक रूप से "एक जानवर का जीवन जीना" नहीं है, बल्कि विधि में पत्नी उसी तरह जीवन जीने की हकदार होगी जैसा वह अपने पति के घर में रहती। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 16.05.2026 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का



पूरी तरह से विश्लेषण और संवीक्षा करने के पश्चात पारित किया गया है और यह एक सकारण और स्पष्ट आदेश है, इसलिए, इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों पर विचार करने और अभिलेख के परिशीलन पर, यह प्रतीत होता है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 16.05.2026 के माध्यम से, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संख्या 2, फिरोजाबाद ने पुनरीक्षणवादी को आवेदन की तिथि से पत्नी/विपक्षी संख्या 2 को 2000/- रुपये प्रति माह और नाबालिग पुत्री/विपक्षी संख्या 3 को 1000/- रुपये प्रति माह अर्थात् कुल 3000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया है। निःसंदेह, संबंधित परिवार न्यायालय द्वारा प्रदान की गई 3000/- रुपये प्रति माह की भरण-पोषण राशि को, किसी भी कल्पना से, अधिक नहीं कहा जा सकता है, बल्कि आज के संदर्भ में किसी व्यक्ति के भरण-पोषण के लिए यह बहुत ही अल्प राशि है, अतः इस न्यायालय का विचार है कि किसी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
6. वाद के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, मैं पाता हूं कि इस पुनरीक्षण को दाखिल करना विधि की प्रक्रिया के शुद्ध दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है और इस पुनरीक्षण में कोई गुण-दोष नहीं है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसे केवल पत्नी/विपक्षी संख्या 2 और नाबालिग पुत्री/विपक्षी संख्या 3 को भरण-पोषण राशि के भुगतान में विलंब करने के लिए दाखिल किया गया है।
7. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण **खारिज** किया जाता है। हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संख्या 2, फिरोजाबाद विधि के अनुसार यथाशीघ्र अपने भरण-पोषण आदेश दिनांक 16.05.2026 को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ेंगे।
8. रजिस्ट्रार अनुपालन को सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए इस आदेश को तत्काल अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संख्या 2, फिरोजाबाद को संप्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

20 अगस्त, 2026

मनीष हिमवान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”